# प्रबन्ध परिषद् की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

**(Minutes of 7th Meeting of the Board of Management)**

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की सातवीं बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को होटल पैसेफिक, सुभाष रोड, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष प्रो0 राजेश भल्ला द्वारा की गई।

**प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो0 राजेश भल्ला, कुलपति | – | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त<br>उत्तराखण्ड शासन<br>(प्रतिनिधि, श्री एल0एन0 पंत, अपर सचिव, वित्त) | – | सदस्य |
| 3. | सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा<br>उत्तराखण्ड शासन<br>(प्रतिनिधि उपसचिव, कृषि विभाग) | – | सदस्य |
| 4. | निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड | – | सदस्य |
| 5. | निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड | – | सदस्य |
| 6. | डा0 अरविन्द शुक्ला, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक | – | सदस्य |
| 7. | श्री विजय सिंह जड़धारी, प्रगतिशील किसान | – | सदस्य |
| 8. | डा0 एम0 सी0 नौटियाल, जाने माने उद्योगपति या उत्पादक | – | सदस्य |
| 9. | सुश्री रंजना रावत, उल्लेखनीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता | – | सदस्य |
| 10. | प्रो0 सुशील कुमार गुप्ता<br>अधिष्ठाता, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी | – | सदस्य |
| 11. | वित्त अधिकारी, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि., भरसार | – | सदस्य |
| 12. | डा0 एस0पी0 सती, कुलसचिव | – | सदस्य सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके उपरान्त कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

**<u>प्रस्ताव सं0 2018:07:02</u>** **दिनांक 27 जून, 2018 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक के कार्यवृत्त/ पारित संकल्प पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।**

मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवीं बैठक में मा0 प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक दिनांक 27 जून, 2018 के सभी कार्यवृत्तों पर सहमति व्यक्त की गई।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:03** **वीर चन्द्र सिंह गढवाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार हेतु सीधी भर्ती के अन्तर्गत शिक्षकों के विभिन्न पदों पर पुनः विज्ञापन विज्ञापित किए जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत Advertisement Notice No. UUHF/DT/F.No. 01/01 of 2016 Dated: 15.10.2016 के द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर विज्ञापन विज्ञापित किया गया था जिसके सापेक्ष कुछ पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं तथा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपना योगदान दिया जा चुका है। उक्त विज्ञप्ति को लगभग दो वर्ष का समय हो जाने पर शेष बचे पदों हेतु पुनर्विज्ञापन प्रकाशित करना अपेक्षित है ताकि पिछले दो वर्षों में आवेदन हेतु अर्हता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें।

उपरोक्त प्रस्ताव पर माननीय प्रबंध परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:04** **विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में मा0 प्रबन्ध परिषद् की तृतीय बैठक में स्कोर 'कार्ड का अनुमोदन किया गया था। जिसके अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्तियां भी की गईं। चूंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के शेष पदों हेतु पुनर्विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त विज्ञापन के साथ सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्कोर कार्ड संशोधित किया गया है। संशोधित स्कोर कार्ड यूजीसी/आईसीएआर एवम् अन्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा लागू स्कोर कार्ड के आधार पर तैयार किया गया है। यहां पर यह भी संज्ञान में लाना उचित होगा कि सीधी भर्ती हेतु सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक तथा अधिष्ठाता आदि स्तर के पदों हेतु यू0जी0सी0/ आई0सी0ए0आर0 द्वारा निर्धारित मानकों तथा एकेडेमिक परफॉरमेन्स इन्डिकेटर (ए0पी0आई0) व्यवस्था (यूजीसी रेगुलेशन 2009 एवं समय–समय पर संशोधित 2013,

2016) को लागू किया जायेगा। स्कोर कार्ड का प्रारूप मा0 प्रबंध परिषद के मा0 सदस्यों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यगणों द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। इस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्य निदेशक, कषि, उत्तराखण्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि स्कोर कार्ड में बीएससी एवं एमएससी की डिग्री हेतु दिए गए 10–10 अकों को बढ़ाया जाए एवम् पेटेंट हेतु दिए गए पांच अंकों को कम कर दिया जाए। इस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा विचारोपरांत स्कोर कार्ड में आंशिक संशोधन के साथ बीएससी एवं एमएससी की डिग्री हेतु दिए जाने वाले अंकों को 12–12 करने एवं पब्लिकेशन हेतु दर्शाए गए अंकों को 14 करने के साथ पेंटेट हेतु दिए गए 05 अंकों में से 01 अंक को कम किए जाने का सुझाव दिया गया। अतः मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड को आंशिक संशोधन के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:05** **वीर चन्द्र सिंह गढवाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में पूर्व में विज्ञापित पदों को पुनर्विज्ञापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत दो कृषि विज्ञान केन्द्रों क्रमशः भरसार और रानीचौरी हेतु विज्ञापन संख्या क्रमशः **01 of 2013/DE/KVK/Scientists** दिनांकित 06.06.2013, **UUHF/DP/338** दिनांकित 22.04.2015, **UUHF/Direct/2015/5** दिनांक 07.12.2015; **UUHF/KVK/03 of 2016** दिनांकित 23.12.2016 के द्वारा प्रोग्राम **को–आर्डिनेटर (Programme Co-ordinator)** तथा विषय वस्तु विशेषज्ञों **(SMS)** के पदों हेतु विज्ञापन विज्ञापित किये गये थे। जिसके अन्तर्गत **प्रोग्राम** कॉडिर्नेटर के दोनों पद क्षैतिज आरक्षण (अनारक्षित महिला सामान्य वर्ग एवम् अनुसूचित जाति महिला) होने के कारण अभी तक कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है। अतः विश्वविद्यालय इन दोनों पदों को **इस** शर्त के साथ पुनर्विज्ञापित करना चाहता है कि विज्ञापित वर्ग पर **आवेदन** न मिलने पर उपरोक्त दोनों पदों को क्रमशः अनारक्षित सामान्य **वर्ग** एवम् अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदनकर्ताओं के द्वारा भरा जा सकता **है**। **अतः** उपरोक्त दोनों वर्गों हेतु अनारक्षित सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित **जाति वर्ग** के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

इसी प्रकार उपरोक्त विज्ञापनों में विषय **वस्तु विशेषज्ञों** के पद भी विज्ञापित किए गए थे जिनमें से कृषि विज्ञान केन्द्र, **भरसाए** एवं रानीचौरी हेतु क्रमशः एसएमएस–टी6 एनीमल हसबेंडरी/वेटेनरी साईंस के एक–एक पद अनुसूचित जाति महिला एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित किए गये थे। जिनके सापेक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, भरसार **के** पद पर एक भी आवेदन

पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जबकि कृषि विज्ञान केन्द्र, रानीचौरी हेतु उपरोक्त पद पर एक अभ्यर्थी की नियुक्ति के उपरांत उनके द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय में, दोनों कृषि विज्ञान केन्द्रों, भरसार एवं रानीचौरी का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसार का कार्य है। जबकि विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पदों में पूर्व में कोई भी पद कृषि प्रसार हेतु पदांकित नहीं किया गया है। अतः विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दोनों पदों को क्रमशः विषयवार एसएमएस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (Subject Matter Specilaist – Agriculture Extension for KVK, Bharsar under SC Female and SMS Agriculture Extension for KVK Ranichauri under OBC Catengory) में परिवर्तित कर उपरोक्त दोनों वर्गों अनुसूचति जाति महिला एवम् अन्य पिछडे वर्ग में विज्ञापित किए जाने एवम् अनुसूचति जाति महिला वर्ग पर आवेदन प्राप्त न होने पर उक्त पद को अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदनकर्ताओं के द्वारा भी भरे जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबंध परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत मा0 प्रबन्ध परिषद् ने विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दोनों पदों को क्रमशः विषयवार एसएमएस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (Subject Matter Specilaist – Agriculture Extension for KVK, Bharsar under SC Female and SMS Agriculture Extension for KVK Ranichauri under OBC Catengory) में परिवर्तित करने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। साथ ही महिलाओं हेतु आरक्षित पद जो कि क्षैतिज आरक्षण के तहत आता है पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने निर्देशित किया कि इस हेतु राज्य सरकार के नियमों का पालन किया जाए। उत्तराखण्ड राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 868(1)/XXX(2/2011 दिनांक 29 अगस्त 2011 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित पदों को विज्ञापित करने की सहमति मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रदान की गई।

साथ ही मा0 कुलपति महोदय ने मा0 प्रबन्ध परिषद् को अवगत कराया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के सर्पोटिंग स्टॉफ (जो कि पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं) के रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से दो माह में पूरी कर ली जायेगी। जिस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को दो माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:06** **विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के अन्तर्गत विज्ञापित वैज्ञानिकों/सपोर्टिंग स्टॉफ के पदों पर पुनर्विज्ञापन के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के अन्तर्गत वैज्ञानिकों के विभिन्न पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन क्रमशः विज्ञप्ति संख्या UUHF/DP/338 दिनांकित 22.04.2015, UUHF/Direct/2015/5 दिनांक 07.12.2015 तथा Advt. Notice No. UUHF/Direct Recruitment/AICRP-Scientists/01/2017 दिनांकित 16.03.2017 के द्वारा विज्ञापित किए गए थे जिसके सापेक्ष कुछ पदों पर नियुक्तियां होने के उपरांत शेष पदों हेतु विज्ञप्ति पुनर्प्रकाशित करने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के अन्तर्गत सपोर्टिंग स्टॉफ के पदों पर विज्ञप्ति संख्या 05/2013/डीआर/एआईसीआरपी/टेक्नीकल माह अक्टूबर 2013 में प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति को विज्ञापित हुए पांच साल का समय व्यतीत हो चुका है। अतः उक्त सपोर्टिंग स्टॉफ के पदों को पुर्नविज्ञापित किए जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के अन्तर्गत वैज्ञानिकों तथा सपोर्टिंग स्टॉफ के पदों को पुनर्विज्ञापित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यगणों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:07** **विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित भारत का राजपत्र भाग ।।।–खण्ड 4 द्वारा की गई अधिसूचना नई दिल्ली 18 जुलाई 2018/आषाढ़ 27,1940 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड़) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2010" (विनियम सं0 एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय–समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु

न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 लागू किया गया। चूंकि उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन सातवें वेतनमान के लागू होने के उपरांत वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता की आयु को मध्यनजर रखते हुए तैयार किया गया है जो कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अभी उत्तराखण्ड में लागू नहीं किया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को विश्वविद्यालय में लागू करना न्यायोचित न होगा तथा जब भी उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त सातवें वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जायेगा तत्समय विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2018 भी स्वतः लागू माना जायेगा। अतः उपरोक्त के मध्यनजर वर्तमान में विज्ञप्तियां एवं उनपर नियुक्तियां यूजीसी रेग्यूलेशन 2010 यथा संशोधित 2013 एवम् 2016 में आधारित प्राविधानों के अन्तर्गत की जाएगी।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि यूजीसी/आईसीएआर रेग्यूलेशन्स 2018 को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जब भी लागू किया जायेगा तत्समय विश्वविद्यालय में स्वतः ही लागू माना जायेगा।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:08** **विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्राध्यापक (Adjunct Professor) को pay-minus-pension पर नियुक्त किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय का शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल समशीतोष्ण फल फसलों के लिए उत्कृष्टत केन्द्र (Center of Excellence) है। वर्तमान में इस केन्द्र में कोई भी वैज्ञानिक/अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्यरत नहीं है जिससे केन्द्र में स्थित सेब, अखरोट आदि के बगीचों की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल में एक उपयुक्त वैज्ञानिक की तत्काल आवश्यकता है, जिसे मध्यनजर रखते हुए विश्वविद्यालय के वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी में स्वीकृत सह–प्राध्यापक पद के सापेक्ष एक पद पर एडजंक्ट प्राध्यापक की "पे–माइनस पेंशन" के आधार पर एक–एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्षों तक नियुक्ति की जानी विश्वविद्यालय हित में आवश्यक है। एडजंक्ट प्राध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियमावली के सेक्शन आठ (क)(बीस) के अनुसार की जा सकती है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति प्रदान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्राध्यापक की "पे–माइनस पेंशन" के आधार पर एक–एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्षों तक नियुक्ति को विधिवत विज्ञापित करते हुए कुलपति महोदय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा भरा जाए।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:09** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में प्रतिनियुक्ति पर लेखाधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की पांचवी बैठक के प्रस्ताव संख्या 2018:05:05 के अनुसार मा0 प्रबन्ध परिषद् ने निर्देशित किया था कि लेखाधिकारी के पद को विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा श्री गणेश सिंह रावत को औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति प्रदान की गई थी जिनके द्वारा अपना योगदान भी विश्वविद्यालय में दे दिया गया है। परंतु वर्तमान में श्री गणेश सिह रावत द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख करते हुए कई बार विश्वविद्यालय को अपने मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रतिनियुक्ति पर लेखाधिकारी पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अतः लेखाधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में नियुक्ति प्रदान करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

लेखाधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में भरे जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव, वित्त श्री एल0एन0 पंत द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लेखाधिकारी की मांग कर सकता है। शासन में उपलब्ध AAO को विश्वविद्यालय में अंतरिम व्यवस्था के तहत लेखाधिकारी के रूप में भेजा जा सकता है। इस सुझाव पर भी मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:10** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में विधिक सलाहकार की नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय प्रारंभिक चरण में अपनी प्रगति की ओर गतिमान है ऐसे में विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर विधिक राय की आवश्यकता पड़ती रहती है। जिसके मध्यनजर विश्वविद्यालय में अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत विधिक सलाहकार/सलाहकारों की आवश्यकता है। इस हेतु उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित दरों पर निम्नलिखित विधिक सलाहकारों का पैनल मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया –

1. श्री पृथ्वी सिंह नेगी (Registration No.- UP4372/94 UK2589/2004) *संलग्नक–3*

2. श्री आनन्द चमोली (D130/2002, UK477/2009) *संलग्नक–4*

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरांत मा0 प्रबन्ध परिषद् ने कहा कि विश्वविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिए अंतरिम व्यवस्था के तहत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हेतु विधिक सलाहकारों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों में यदि इस तरह कि व्यवस्था अपनाई जा रही है तो उनके अनुरूप व्यवस्था विश्वविद्यालय में अपनाई जाए। इस पर कुलसचिव द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद् को अवगत कराया गया कि दून विश्वविद्यालय में की गयी इसी तरह की व्यवस्था के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने अपनी सहमति प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:11** **विश्वविद्यालय अधिनियमों में कुलसचिव, उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव की नियुक्ति हेतु केन्द्रीयित सेवा नियमावली (एकीकृत) बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या क्रमशः 1200(1)/XXIV(6)/2017-106/2010 दिनांक 17 नवम्बर 2017 तथा GS-24/XIII-II/2018-04(02)/2018 दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के क्रम में विश्वविद्यालय में कुलसचिव, उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव की नियुक्ति से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 के सेक्शन 8(क)(पांच) के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान था जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2014 में प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कर दी गयी थी। उक्त कुलसचिव को मई 2016 में विश्वविद्यालय द्वारा अपने मूल विभाग को कार्यमुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् द्वितीय कुलसचिव प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष तक (जुलाई 2016 से जुलाई 2017 तक) रहे। वर्तमान में जुलाई 2017 से कुलसचिव का पद रिक्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 में विहित सेक्शन 04(छ)(छ) के नियमानुसार कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार वि0वि0 के सह–प्राध्याक को दिया गया है। यहां पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के संज्ञान में यह लाना है कि महामहिम राज्यपाल के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल द्वारा पत्र संख्या 149/जी0एस0/शिक्षा/C13-5(II)/2018 दिनांक 11 अप्रैल 2018

(*संलग्नक–5*) के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि कुलसचिव पद हेतु चयन समिति के प्रारूप निर्धारित करते हुए उसे विधिवत प्रबंध परिषद् में पारित कर परिनियमों में संशोधन हेतु नियमानुसार मा0 कुलाधिपति जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। उक्त पत्र में यह भी व्यक्त किया गया कि चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति के अतिरिक्त दो संकायाध्यक्ष, महामहिम कुलाधिपति की ओर से नामित एक सदस्य तथा राज्य सरकार से नामित एक सदस्य को रखा जा सकता है। दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न बैठक में यह भी अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार नियुक्त कुलसचिव का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो। जिसका अनुमोदन मा0 प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक में कर लिया गया है और उसका प्रस्ताव शासन एवं सचिव महामहिम राज्यपाल को भी प्रेषित किया जा चुका है।

अब उपरोक्त प्रावधान को पुनः संशोधित करते हुए शासन के पत्रांक संख्या 1200(1)/XXIV(6)/2017-106/2010 दिनांक 17 नवम्बर 2017 (*संलग्नक–6(1)*) तथा GS-24/XIII-II/2018-04(02)/2018 दिनांक 15 अक्टूबर 2018 (*संलग्नक–6(2)*) के अनुपालन में "राज्य सरकार कुलसचिवों, उप कुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक सेवा के सृजन का उपबंध करेगी, जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिए समान होगी तथा किसी ऐसी सेवा में वेतन, भत्तों को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करेगी" जिस पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार की संस्तुति/संशोधन हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्देश दिया कि प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार की संस्तुति/संशोधन हेतु शासन को प्रस्तुत किया जाए।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:12**

**डॉ0 उमेश चन्द लोहानी, सह–प्राध्यापक, Food Process Engineering/Food Engineering के योगदान तिथि को विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक दिनांक 27 जून 2018 में प्रस्ताव संख्या 2018:06:10 पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने डा0 उमेश चन्द लोहानी को सामान्य योगदान देने हेतु प्राविधानित समय एक माह के अतिरिक्त छः माह का अतिरिक्त समय देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। डा0 लोहानी का छः माह का समय 26 सितम्बर 2018 को समाप्त हो चुका है परंतु डा0 लोहानी द्वारा अभी तक अपना योगदान विश्वविद्यालय में नहीं दिया गया है**

**तथापि अपने योगदान तिथि को 26 नवम्बर 2018 तक आगे बढाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 26.09.2018 को प्रेषित किया गया है। जिसे मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।**

**उपरोक्त प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद ने अस्वीकार करते हुए उपरोक्त पद को पुनर्विज्ञापित किए जाने के निर्देश दिए।**

**प्रस्ताव सं0 2018:07:13** **विश्वविद्यालय में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ का अन्यत्र चयन होने पर विश्वविद्यालय में धारणाधिकार (Lien) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, भरसार में विषय वस्तु विशेषज्ञ (प्लांट प्रोटेक्शन) के पद पर कार्यरत डा0 होशियार सिंह नेगी का चयन नियुक्ति पत्र संख्या डीएएम/सी/एपीपीटी/56/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा, उत्तर प्रदेश में सहायक प्राध्यापक (प्लांट प्रोटेक्शन) के पद पर हुआ है। श्री होशियार सिंह नेगी द्वारा विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होने के साथ धारणाधिकार हेतु आवेदन किया गया है। चूंकि विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 में धारणाधिकार सम्बन्धी नियम का उल्लेख नहीं है एवं श्री होशियर सिंह नेगी द्वारा विश्वविद्यालय में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है। अतः श्री होशियार सिंह नेगी को 02 वर्ष का धारणाधिकार दिए जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त करते हुए धारणाधिकार (Lien) की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:14** **विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को पीएचडी/एमफिल डिग्री का गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त सहायक प्राध्यापकों को यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 के अनुसार जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स–वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक प्राध्यापक के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पांच गैर–मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर–मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। जो सहायक प्राध्यापक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर–मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बन्धित विषय में की

गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स–वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो। उपरोक्त नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्यूलेशन 2018 इस विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने के उपरांत लागू किया जाएगा। वर्तमान की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्यूलेशन 2010 यथा संशोधित 2013, 2016 के अनुसार पीएचडी डिग्री के पांच एवम् एमफील डिग्री के दो गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि समस्त सहायक प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय में देय होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने **सहमति** व्यक्त की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:15** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक के बिन्दु संख्या 2018:06:11 के द्वारा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने के साथ–साथ प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। तत्क्रम में विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को मार्च 2019 के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ–साथ प्रथम दीक्षांत समारोह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर चुके छात्रों हेतु डिग्री का प्रारूप एवम् मैडल्स का प्रारूप पंतनगर विश्वविद्यालय के अनुरूप होने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने **सहर्ष** स्वीकृति प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:16** **विश्वविद्यालय के औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार और वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी में नये विभागों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के दो महाविद्यालयों क्रमशः औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार और वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी में विभिन्न विभागों के सृजन की आवश्यकता महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर दोनों महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं द्वारा प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने आंशिक संशोधन के उपरांत दोनों महाविद्यालयों में विभागों के सृजन की अनुमति प्रदान की। विभागों के सृजन का विवरण निम्नानुसार है –

औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार

1- Department of Vegetable Science
2- Department of Fruit Science
3- Department of Floriculture & Landscape Architecture
4- Department of Medicinal & Aromatic Plants
5- Department of Food Science & Technology
6- Department of Natural Resource Management
7- Department of Crop Impvorment
8- Department of Basic & Social Sciences
9- Department of Entomology
10- Department of Plant Pathology

वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी

1- Department of Silviculture
2- Department of Agroforestry
3- Department of Tree Improvement
4- Department of Forest Products and Utilization
5- Department of Forest Ecology and Wildlife Management
6- Department of Forest Protection
7- Department of Natural Resource Management

विभागों के सृजन हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:17**

**वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी परिसर में पूर्व में कार्यरत स्व0 श्री जोत सिंह, पूर्व प्रक्षेत्र परिचारक जिनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके पुत्र श्री दीवान सिंह को मृतक कोटे के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव मूलदस्तावेजों के साथ पूर्व में उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था जिसे शासन द्वारा मूल रूप से वापस करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के मृतक आश्रित सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में श्री दीवान सिंह को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' संवर्ग (चतुर्थ श्रेणी) पर नियुक्ति प्रदान इस आशय के साथ की गयी कि उपरोक्त नियुक्ति का पुष्टिकरण मा0 प्रबन्ध परिषद् से करवा लिया जाए। अतः प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् की पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था।**

**उपरोक्त प्रस्ताव श्री दीवान सिंह को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' संवर्ग (चतुर्थ श्रेणी)**

पर नियुक्ति प्रदान करने पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने पुष्टि प्रदान की। इसके साथ ही मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव, वित्त श्री एल0एन0 पंत द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य शासनादेशों के अनुसार मृतक आश्रित कोटे पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना आवश्यक भी नहीं है। भविष्य में इस पर विश्वविद्यालय अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

प्रस्ताव सं0 2018:07:18

विश्वविद्यालय की दिनांक 27 जून, 2018 को सम्पन्न प्रबंध परिषद् की छठवीं बैठक के प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 2018:06:07 के संबंध में प्रबंध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था कि सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा कर्मियों को 31 दिसम्बर 2018 तक ही आवश्यकतानुसार रखा जाए, तथा इस दौरान नियमित भर्ती की प्रक्रिया कर ली जाए। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद् को यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की तृतीय प्रबन्ध परिषद् की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2016 के प्रस्ताव संख्या 2016:03:07 के अनुसार विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत टीचिंग एंड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) को विनियमित किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई थी। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक [टीचिंग एंड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs)] की सूची तैयार कर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तत्क्रम में शासन द्वारा पूछी गई विभिन्न बिन्दुओं पर आख्या भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए कुछ सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर ली गई है तथा शेष विज्ञापित अन्य पदों को पुर्नविज्ञापित कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी, जिसे पूर्ण करने में लगभग छः माह का समय लग जाएगा। उक्त के क्रम में प्रस्तावित है कि गतिमान नियमित भर्ती प्रक्रिया के मध्यनजर शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा कर्मियों को 30 जून 2019 अथवा पदों को भरे जाने तक (जो भी पंहले हो) रखे जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ताकि विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य बाधित न हों। प्रस्ताव मा0 प्रबंध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने गहन विचारोपरांत विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत टीचिंग एंड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) एवं अन्य संविदा कर्मियों को 30 जून 2019 अथवा पदों को भरे जाने तक (जो भी पहले हो) रखे जाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही मा0 प्रबन्ध परिषद् ने यह भी निर्देशित किया कि संविदा

**पर कार्यरत टीचिंग एंड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) एवं अन्य संविदा कर्मियों को 30 जून 2019 के बाद किसी भी स्थिति में सेवा विस्तार न दिया जाए। यहां पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव, वित्त श्री एल0एन0 पंत द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि संविदा पर कार्यरत टीचिंग एंड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) एवं अन्य संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार कों 31 दिसम्बर 2018 के बाद नहीं दिया जाना चाहिए।**

**प्रस्ताव सं0 2018:07:19** **विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 के पैरा 3(2)(ख)(तीन) के विलोपन सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 के पैरा 3(2)(ख)(तीन) के अनुसार "शैक्षणिक परिषद्, विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों से सम्बन्धित निदेशकों/अधिकारियों/शिक्षकों/वैज्ञानिकों आदि की सीधी भर्ती हेतु आवश्यक तथा अधिमानी अर्हताओं का अनुमोदन करेगी। कुलपति द्वारा गठित समिति UGC, ICAR, ICFRE आदि द्वारा जारी राष्ट्रीय मानकों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तथा अधिमानी अर्हतायें तैयार कर शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदनोपरांत अर्हताएं लागू की जायेंगी"। उपरोक्त तथ्य तकनीकी रूप से सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित सभी नियम एवं न्यूनतम अर्हता इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) (समय–समय पर यथा संशोधित)/आईसीएआर के अनुसार ही की जाती है जो कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सेवानियमावली में भी उल्लेखित है।

अतः विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 के पैरा 3(2)(ख)(तीन) के विलोपन का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त विलोपन के प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 में उक्त संशोधन को सम्मिलित किए जाने हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:20** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के मा0 कुलपति महोदय के उपयोग हेतु नए वाहन क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति महोदय द्वारा वर्तमान में जो वाहन उपयोग में लाए जा रहे हैं वो पांच वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं। ज्ञातव्य है कि

विश्वविद्यालय का मुख्यालय एक अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित होने के कारण एवं विश्वविद्यालय के अन्य संस्थान विभिन्न जिलों में दूर–दूर होने के कारण कुलपति महोदय को समय–समय पर अन्य संस्थानों का दौरा भी करना होता है। अतः मा0 कुलपति महोदय हेतु नए वाहन (इनोवा) को क्रय किया जाना तर्कसंगत एवम् आवश्यक है। वाहन का क्रय विश्वविद्यालय की बचत मद से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने **स्वीकृति** प्रदान की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:21** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया, रूपद्रप्रयाग हेतु मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षकों/कर्मचारियों से सम्बन्धित ढांचे का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चिरबटिया, जखोली में पांच वर्ष पूर्व दिनांक 11 सितम्बर 2013 को राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिसका संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। विगत चार वर्षों से इस महाविद्यालय की बी0एससी0 कृषि ऑनर्स की कक्षाएं भी वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल में संचालित की जा रही हैं। उक्त महाविद्यालय हेतु ढांचागत विकास के साथ–साथ शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ इस आशय से प्रस्तुत कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाए।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने अनुमोदन प्रदान करते हुए कुलपति को अधिकृत किया कि उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाए जो तत्सम्बन्ध में प्रस्ताव को तैयार कर कुलपति को प्रस्तुत करेगी जिसे कुलपति द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:22** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरीग्रांट, डोईवाला, देहरादून हेतु मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षकों/कर्मचारियों से सम्बन्धित ढांचे का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत माजरीग्रांट, डोईवाला, देहरादून में पांच वर्ष पूर्व दिनांक 05 दिसम्बर 2013 को राज्य सरकार द्वारा खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। जिसमें वर्तमान तक केवल

प्रीफैब स्ट्रक्चर का निर्माण हो पाया है। उक्त संस्थान को स्थापित करने एवम् कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए मूलभूत सुविधाओं को शीघ्रातिशीघ्र विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरीग्रांट हेतु ढांचागत विकास के साथ–साथ शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ इस आशय से प्रस्तुत कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाए।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने अनुमोदन प्रदान करते हुए कुलपति को अधिकृत किया कि उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाए जो तत्सम्बन्ध में प्रस्ताव को तैयार कर कुलपति को प्रस्तुत करेगी जिसे कुलपति द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:23** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत एवं स्थापित किए गए विभिन्न शोध एवं प्रसार केन्द्रों से सम्बन्धित ढांचागत प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शासन द्वारा छः शोध एवं प्रसार केन्द्रों (काणाताल, गजा, प्रतापनगर, जखिण्डा, देहरादून, पैंतोली) की स्वीकृति की गई है। जिनकी देखभाल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा पदों का सृजन नहीं किया गया है एवं दो केन्द्रों क्रमशः शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल, टिहरी गढ़वाल एवम् शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून को छोड़कर अन्य केन्द्रों को चलाने हेतु मूलभूत सुविधाओं जैसे ढांचागत विकास हेतु आर्थिक सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है जिससे केन्द्रों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। अतः केन्द्रों को समुचित रूप से चलाए जाने और आम किसानों को इसका लाभ दिए जाने के लिए ढांचागत विकास के साथ–साथ केन्द्रों में विभिन्न पदों का सृजन अत्यावश्यक है जिसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया जाए कि वे एक समिति गठित कर समिति से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करें। अतः प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।
उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:24** **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों को एनपीएस/यूडीए दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार की दीर्घकालीन परियोजना के अन्तर्गत 02 कृषि विज्ञान केन्द्रों क्रमशः केवीके, भरसार एवं रानीचौरी में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों को भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राविधानों के अन्तर्गत नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अंशदान की कटौती हेतु कोई स्पष्ट शासनादेश आईसीएआर/भारत सरकार द्वारा निर्गत नहीं किए गए हैं। उक्त पदों पर कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों को नेशनल पेंशन स्कीम के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने तथा राज्य सरकार की तर्ज पर यूडीए/पर्वतीय भत्ता अनुमन्य किए जाने एवम् उनके द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में अंशदान की कटौती किए जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मा0 प्रबन्ध परिषद् ने प्रकरण को शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:25** **विश्वविद्यालय में मेडिसनल एवम् एरोमेटिक प्लांट्स विषय में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की 6वीं बैठक दिनांक 27 जून 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:06:12 में मा0 प्रबन्ध परिषद् ने विश्वविद्यालय में प्रारम्भिक चरण में विभिन्न विषयों में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए जाने की अनुमति प्रदान की थी। तत्क्रम में विश्वविद्यालय में एक और विषय "मेडिसनल एवम् एरोमेटिक प्लांट्स" में भी पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

**प्रस्ताव सं0 2018:07:26** **विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने के उपरांत विश्वविद्यालय को अंतिम तीन माह का वेतन जमा करने में छूट से सम्बन्धित प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की 6वीं बैठक दिनांक 27 जून 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:06:9 के अनुसार यदि कोई नियमित सहायक प्राध्यापक एवम् विषय वस्तु विशेषज्ञ तीन वर्ष की सेवा से पूर्व किसी अन्य संस्थान में सेवा हेतु या उच्च शिक्षा हेतु जाना चाहते हैं तो उनको अपने अंतिम तीन माह का वेतन विश्वविद्यालय में जमा करने के उपरांत ही

विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने अनुमति प्रदान की थी। तत्क्रम में विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान डा0 विजय कुमार द्वारा अपना योगदान 29 जून 2018 को दिया गया। डा0 विजय कुमार ,का चयन डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन में सहायक प्राध्यापक, फल विज्ञान में हुआ है। इस क्रम में डा0 विजय कुमार ने विश्वविद्यालय से अपना त्यागपत्र दिनांक 05.11.2018 को दे दिया है। साथ ही उन्होंने तीन माह के वेतन के बराबर की धनराशि का चैक विश्वविद्यालय में जमा कर दिया है जिसके आधार पर उन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका है। परंतु साथ ही उन्होंने अपने आवेदन में विश्वविद्यालय को तीन माह का वेतन जमा करने हेतु छूट दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में कहा गया है कि चूंकि तीन वर्ष की सेवा से पूर्व त्याग पत्र देने पर अंतिम तीन माह का वेतन विश्वविद्यालय को जमा करने का प्राविधान उनकी नियुक्ति पत्र में उल्लिखित नहीं किया गया था। अतः उन्हें तीन माह का वेतन विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु छूट प्रदान की जाए। अतः प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने विचारोपरांत यह निर्देश दिए कि चूंकि अभ्यर्थी ने पद से त्यागपत्र अपनी स्वेच्छा व्यक्तिगत हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत किया है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम तीन माह का वेतन विश्वविद्यालय में जमा करने की छूट न दी जाए।

अतः प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने असहमति व्यक्त की।

**<u>प्रस्ताव सं0 2018:07:27</u>** **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।**

**(1) अन्य प्रस्ताव में मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव, वित्त श्री एल0एन0 पंत द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की आगामी बैठक (आठवीं बैठक) विश्वविद्यालय के मुख्यालय अर्थात् भरसार, पौड़ी गढ़वाल में आयोजित की जाए। साथ ही मा0 प्रबन्ध परिषद् की आगामी बैठक की तिथि निर्धारित किए जाने से पूर्व मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यगणों से तिथि की सहमति प्राप्त कर ली जाए। जिस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सभी सदस्यों ने एक सुर में अपनी सहमति प्रदान की।**

(2) एक अन्य प्रस्ताव में मा0 प्रबन्ध परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न नवसृजित महाविद्यालयों, परिसरों, संस्थानों तथा शोध केन्द्रों के ढांचागत विकास (Infrastructure Development) तथा शैक्षणिक, शोध और गैर शैक्षणिक पदों/स्टॉफ की सोचनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि मा0 प्रबन्ध परिषद् की उक्त चिन्ता से राज्य सरकार/शासन को अवगत कराने के उद्देश्य से मा0 कुलपति जो कि मा0 प्रबन्ध परिषद् के पदेन अध्यक्ष भी हैं एक पत्र राज्य सरकार/शासन को प्रेषित करेंगे साथ ही इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा ढांचागत विकास तथा विभिन्न पदों के सृजन की मांग का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार/शासन को प्रस्तुत किया जाए।

अन्त में **अध्यक्ष** महोदय ने मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यो को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं तदोपरान्त सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

30.11.2018

कुलसचिव/सदस्य सचिव, प्रबंध परिषद्

30/11/18

कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद्